

20.12.2023:—आज पत्रावली पेशी में आई। उभयपक्ष
उपस्थित। मूल वाद-पत्र राजीनामा अनुसार
खारिज हो चुका है। मूल वाद पत्र खारिज
होने के कारण प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही
शेष नहीं रह जाती। मूल वादपत्र खारिज होने
के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत
धारा 212 आर.टी.ए. वर्तमान स्तर पर ही
खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से
कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल
दफ्तर हो।

